

# जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण

## अधिनियम, 1886

(1886 का अधिनियम संख्यांक 6)<sup>1</sup>

[8 मार्च, 1886]

कुछ दशाओं में जन्म और मृत्युओं के स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण के लिए, जन्म, मृत्यु और विवाहों के रजिस्टर रखने के लिए साधारण रजिस्ट्री कार्यालयों की स्थापना और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करने के लिए  
अधिनियम

कुछ वर्गों के व्यक्तियों के जन्म और मृत्युओं के स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण के लिए, उन जन्म और मृत्युओं के और 21872 के अधिनियम 3 या भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) के अधीन रजिस्ट्रीकृत विवाहों के और अविवाह-विच्छेद अधिनियम, 1865 (1865 का 15) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कुछ विवाहों के अधिक प्रभावी रजिस्ट्रीकरण के लिए, और उन जन्म, मृत्यु और विवाहों के रजिस्टर रखने के लिए साधारण रजिस्ट्री की स्थापना के लिए उपबन्ध करना समीचीन है;

और कुछ विद्यमान रजिस्टरों के, जो उस प्रदेश की विधि द्वारा जिसमें वे रजिस्टर रखे गए हैं विशेषतः व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में नहीं बनाए गए हैं, अनुप्रमाणन और अभिरक्षा के लिए उपबन्ध करना, और उन रजिस्टरों की प्रविष्टियों की प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य होंगी, यह घोषित करना भी समीचीन है;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

### अध्याय 1

#### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 है ; और

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश करे।

5\* \* \* \* \*

**2. विस्तार**—इस अधिनियम का विस्तार<sup>2</sup> [उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय], जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ‘ब’ राज्यों में समाविष्ट थे, सम्पूर्ण भारत पर है।

**3. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

“हस्ताक्षर” के अन्तर्गत चिह्न भी है यदि चिह्न बनाने वाला व्यक्ति अपना नाम लिखने में असमर्थ है ;

“विहित” से इस अधिनियम के अधीन <sup>3</sup> बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

“जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

<sup>1</sup> यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (उपान्तरणों सहित) (1-7-1963 से) दादरा और नागर हवेली में, 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (उपान्तरणों सहित) गोवा, दमण और दीव पर विस्तारित और प्रवृत्त घोषित किया गया।

<sup>2</sup> 1956 के मैसूर अधिनियम 20 द्वारा (जिला विलारी में यथापवृत्त), 1958 के राजस्थान अधिनियम सं० 33 द्वारा अजमेर क्षेत्र, आवू रोड और सूएल क्षेत्र में निरसित।

<sup>3</sup> अब विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) देखिए।

<sup>4</sup> अब पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का 3) देखिए।

<sup>5</sup> भारत का राजपत्र, 1888, भाग 1, पृष्ठ 336 ; तारीख 1 अक्टूबर, 1888 देखिए।

<sup>6</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा उपधारा (3) निरसित।

<sup>7</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> संथाल परगना सेटलमेंट रेग्यूलेशन, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा इसका संथाल परगनाओं में प्रवृत्त होना घोषित किया गया। बरार लॉज एक्ट, 1941 (1941 का 4) द्वारा भागतः इसका विस्तार बरार पर भी किया गया।

<sup>9</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ब राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>10</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा” शब्दों को निरसित किया गया।

**4. स्थानीय विधियों की व्यावृत्ति**—इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम की कोई बात, विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अन्दर इसके पहले या पश्चात् पारित जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने वाली किसी विधि को प्रभावित नहीं करेगी।

**5. समय-समय पर शक्तियों का प्रयोग किया जा सकना**—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकेगा।

## अध्याय 2

### जन्म, मृत्यु और विवाहों के साधारण रजिस्ट्री कार्यालय

**6. साधारण रजिस्ट्री कार्यालयों की स्थापना और महारजिस्ट्रारों की नियुक्ति**—(1) प्रत्येक राज्य सरकार,—

(क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की या<sup>1</sup> 1872 के अधिनियम 3 (कुछ दशाओं में विवाहों की पद्धति का उपबन्ध करने के लिए) के या भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) के अधीन रजिस्ट्रीकृत विवाहों के रजिस्टरों की, या मुम्बई के उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1865 (1865 का 15)<sup>2</sup> के अधीन रजिस्ट्रीकृत विवाहों के रजिस्टरों की ऐसी प्रमाणित प्रतियां जो उसे इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित अन्त में उल्लिखित तीन अधिनियमों में से किसी के अधीन भेजी जाएं, रखने के लिए एक साधारण रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना करेगी, और

(ख) उस कार्यालय के भारसाधक के रूप में, जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार कहलाने वाला एक अधिकारी, अपने प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त कर सकेगी।

3\* \* \* \* \*

**7. साधारण रजिस्ट्री कार्यालय में सूचियों का रखा जाना**—जन्म, मृत्यु और विवाह का प्रत्येक महारजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित<sup>1</sup> 1872 के अधिनियम 3, (भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) या<sup>2</sup> पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1865 (1865 का 15)) के अधीन, अपने कार्यालय को भेजे गए रजिस्टरों की सभी प्रमाणित प्रतियों की सूचियां विहित प्ररूप में बनवाएंगा और अपने कार्यालय में रखवाएंगा।

**8. सूचियों का निरीक्षण किया जा सकना**—विहित फीस का संदाय करने पर, इस प्रकार बनाई गई सूचियों का सभी उचित समयों पर उनके निरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, और जिनके सम्बन्ध में सूचियां हैं उन रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतियों की प्रविष्टियों की प्रतियां उन सभी व्यक्तियों को दी जाएंगी जो उनके लिए आवेदन करें।

**9. प्रविष्टियों की प्रतियों का साक्ष्य में ग्राह्य होना**—इसके ठीक पहले की धारा के अधीन दी गई किसी प्रविष्टि की प्रति जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी, और उस जन्म, मृत्यु या विवाह को सावित करने के लिए जिसके सम्बन्ध में वह प्रविष्टि है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

**10. महारजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रारों का अधीक्षण**—जन्म, मृत्यु और विवाह का प्रत्येक महारजिस्ट्रार उन क्षेत्रों में जिनके लिए वह नियुक्त किया जाता है जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों पर साधारण अधीक्षण करेगा।

## अध्याय 3

### जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

क—इस अध्याय का लागू होना

**11. वे व्यक्ति जिनके जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण हो सकता है**—(1) वे व्यक्ति जिनके जन्म और मृत्यु का पहले चरण में, इस अध्याय के अधीन रजिस्टर किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) <sup>4</sup>[उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है,] उस मूलवंश, पंथ या जनजाति के वे सभी सदस्य जिनको<sup>5</sup> इण्डियन सर्केशन एक्ट, 1865 (1865 का 10) लागू होता है,] और जिनकी बाबत उस अधिनियम की धारा 332 के अधीन कोई आदेश तत्समय प्रवृत्त नहीं है, और क्रिश्चियन धर्म मानने वाले सभी व्यक्ति।

6\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> अब विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) देखिए।

<sup>2</sup> पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का 3) देखिए।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (2) निरसित की गई।

<sup>4</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “किसी भाग के राज्य या किसी भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 3 देखिए।

<sup>6</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा खण्ड (ब) निरसित।

(2) किन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, <sup>1\*\*\*</sup> इस अध्याय के प्रवर्तन को व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग पर या तो सभी क्षेत्रों में या किसी स्थानीय क्षेत्र में विस्तारित कर सकती है।

#### ख—रजिस्ट्रीकरण स्थापन

12. राज्य सरकार की अपने राज्यक्षेत्रों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति—राज्य सरकार अपने प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए और, यदि वह ठीक समझे, तो, उन राज्यक्षेत्रों के किसी भाग के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए या तो नाम से या उनके पद के आधार पर इतने व्यक्तियों को, जितने वह आवश्यक समझे, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है।

13. [देशी राज्यों के लिए रजिस्ट्रारों को नियुक्त करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित।

14. रजिस्ट्रार का लोक सेवक समझा जाना—जन्म और मृत्यु का प्रत्येक रजिस्ट्रार भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

15. [रजिस्ट्रार को हटाने की शक्ति ।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित।

16. रजिस्ट्रार का कार्यालय और उपस्थिति—(1) जन्म और मृत्यु के प्रत्येक रजिस्ट्रार का उस स्थानीय क्षेत्र में या उस राज्यक्षेत्र या डोमिनियन के भाग के अन्दर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है, कार्यालय होगा।

(2) जन्म और मृत्यु का प्रत्येक रजिस्ट्रार, जिसको राज्य सरकार यह उपधारा लागू होने का निदेश करे, ऐसे दिन और ऐसे समय जिनका जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार निदेश करे, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित होगा और अपने कार्यालय के बाहरी द्वारा या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर अपना नाम और साथ ही साथ जिस स्थानीय क्षेत्र या वर्ग के लिए वह जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है उसका नाम और अपने उपस्थित होने के दिन और समय लगवाएगा।

17. रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या उसके पद की रिक्ति—(1) जब जन्म और मृत्यु का कोई रजिस्ट्रार, जिसको राज्य सरकार था वह धारा लागू होने का] निदेश करे, और जो कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई नगर के स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार से भिन्न हो, अनुपस्थित है, या उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त है तो, कोई व्यक्ति जिसकी जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार इस निमित्त नियुक्त करे, या, ऐसी नियुक्ति के अभाव में उस जिला न्यायालय का न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है, या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या जब तक राज्य सरकार रिक्ति न भरे, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार होगा।

(2) जब कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई नगर के स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म और मृत्यु का कोई रजिस्ट्रार अनुपस्थित है, या जब उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त है तब, कोई व्यक्ति जिसे जन्म, मृत्यु या विवाह का महारजिस्ट्रार इस निमित्त नियुक्त करे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या जब तक राज्य सरकार रिक्ति न भरे, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार होगा।

(3) जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार राज्य सरकार को इस धारा के अधीन अपने द्वारा की गई सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट देगा।

18. रजिस्टर बहियों का प्रदाय किया जाना और अभिलेखों के परिरक्षण की व्यवस्था—राज्य सरकार, जन्म और मृत्यु के प्रत्येक रजिस्ट्रार को पर्याप्त संख्या में जन्म की रजिस्टर बहियां और मृत्यु की रजिस्टर बहियां प्रदान करेगी, और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध अभिलेखों के परिरक्षण की उचित व्यवस्था करेगी।

#### ग—रजिस्ट्रीकरण का ढंग

19. रजिस्ट्रार का उन जन्मों और मृत्युओं को रजिस्टर करने का कर्तव्य जिनकी सूचना दी जाती है—जन्म और मृत्यु का प्रत्येक रजिस्ट्रार, उस स्थानीय क्षेत्र के अन्दर या उस वर्ग में जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, किसी जन्म या मृत्यु की सूचना की प्राप्ति पर, यदि सूचना विहित समय के अन्दर और विहित ढंग में इस अधिनियम द्वारा सूचना देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी गई है, तो उचित रजिस्टर बही में उस जन्म या मृत्यु की प्रविष्टि तुरन्त करेगा :

परन्तु यह कि,—

(क) यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि सूचना किसी तरह से मिथ्या है तो, वह तब तक जन्म या मृत्यु को रजिस्टर करने से इन्कार कर सकता है जब तक उसे जिला न्यायालय के न्यायाधीश से प्रविष्टि करने और प्रविष्टि करने की रीति का निदेश करने वाला आदेश प्राप्त न हो, और

<sup>1</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के पूर्व अनुमोदन से” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>2</sup> यह धारा मद्रास सरकार द्वारा धारा 12 के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किए गए सभी रजिस्ट्रारों को लागू करने के लिए घोषित की गई है। मद्रास नियम और आदेश देखिए।

(ख) यह अधर्मज बालक के पिता के रूप में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं करेगा जब तक उसकी माता तथा बालक का पिता होना स्वीकार करने वाला व्यक्ति अनुरोध न करे।

**20. जन्म की सूचना देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति—निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी जन्म की सूचना दे सकते हैं, अर्थात् :—**

(क) बालक के पिता या माता ;

(ख) जन्म के समय उपस्थित कोई व्यक्ति ;

(ग) कोई व्यक्ति जो जन्म के समय, उस मकान के किसी भाग का अधिभोगी है जिसमें बालक का जन्म हुआ था और जिसे उस मकान में बालक के जन्म होने की जानकारी है ;

(घ) कोई चिकित्सा व्यवसायी जिसने जन्म के पश्चात् परिचर्या की है और जिसे जन्म होने की व्यक्तिगत जानकारी है ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो बालक का भारसाधक है ।

**21. मृत्यु की सूचना देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति—निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी मृत्यु की सूचना दे सकते हैं, अर्थात् :—**

(क) मृत व्यक्ति कोई नातेदार जिसे मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों में से किसी की जानकारी है ;

(ख) मृत्यु के समय उपस्थित कोई व्यक्ति,

(ग) कोई व्यक्ति जो मृत्यु के समय, उस मकान के किसी भाग का अधिभोगी है जिसमें मृत्यु हुई थी और जिसे उस मकान में मृत्यु होने की जानकारी है ;

(घ) मृत व्यक्ति की अन्तिम रूणता के समय परिचर्या करने वाला कोई व्यक्ति ;

(ङ) कोई व्यक्ति जिसने मृत्यु के पश्चात् मृत व्यक्ति का शरीर देखा है ।

**22. सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा जन्म या मृत्यु की प्रविष्टि पर हस्ताक्षर किया जाना—**(1) जब किसी जन्म या मृत्यु की प्रविष्टि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा धारा 19 के अधीन की गई है, तब, जन्म या मृत्यु की सूचना देने वाला व्यक्ति रजिस्टर में उस प्रविष्टि पर रजिस्ट्रार की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा :

<sup>1</sup>[परन्तु सूचना देने वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना या रजिस्टर में प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा यदि उसने ऐसी सूचना लिखित रूप में दी है और रजिस्ट्रार के समाधानपर्यन्त अपनी पहचान का ऐसा साक्ष्य दिया है जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित हो।]

(2) जब तक प्रविष्टि इस प्रकार हस्ताक्षरित न हो, <sup>2</sup>[या उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न हो जाए] तब तक वह जन्म या मृत्यु इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं समझी जाएगी ।

(3) जब किसी अधर्मज बालक का जन्म रजिस्टर किया जाता है, और माता तथा बालक का पिता होना स्वीकार करने वाला व्यक्ति संयुक्त रूप से यह अनुरोध करते हैं कि वह व्यक्ति पिता के रूप में रजिस्टर किया जाए तब दोनों को अर्थात्, माता को और उस व्यक्ति को, रजिस्ट्रार की उपस्थिति में रजिस्टर में की गई प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा ।

**23. जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का दिया जाना—**जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार, जन्म या मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए आवेदन पर, और उसके द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर, आवेदक को जन्म या मृत्यु के रजिस्टर किए जाने का विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र देगा ।

**24. रजिस्टर बहियों में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां महारजिस्ट्रार को भेजने का रजिस्ट्रार का कर्तव्य—**(1) <sup>3</sup>[उन राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है,] जन्म और मृत्यु का प्रत्येक रजिस्ट्रार, उन राज्यक्षेत्रों के लिए जिनके अन्दर वह स्थानीय क्षेत्र स्थित है या वह वर्ग निवास करता है, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार को, विहित अन्तरालों पर उसके ठीक पहले के अन्तराल के बाद से उसके द्वारा रखी गई रजिस्टर बहियों में जन्म और मृत्यु की सभी प्रविष्टियों की विहित प्ररूप में अपने द्वारा प्रमाणित सही प्रति भेजेगा :

<sup>1</sup> 1911 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>2</sup> 1911 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग के राज्यों या भाग गे राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु जन्म और मृत्यु के उन रजिस्ट्रारों के सम्बन्ध में जो इंगलैंड, रोम और स्काटलैंड के चर्चों के पादरी हैं, यदि रजिस्ट्रार अपने चर्च सम्बन्धी वरिष्ठ द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाता है तो, सम्बद्ध प्रमाणित प्रतियां पहले उस वरिष्ठ को भेजेगा जो उन्हें जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार को भेजेगा।

इस उपधारा में “इंगलैंड का चर्च” और “स्काटलैंड का चर्च” से विधि द्वारा स्थापित इंगलैंड का चर्च और स्काटलैंड का चर्च अभिप्रेत है, और “रोम का चर्च” से वह चर्च अभिप्रेत है जो रोम के पोप को अपना आध्यात्मिक प्रधान मानता है।

1\* \* \* \* \*

**25. रजिस्टर बहियों की तलाशी और उनकी प्रविष्टियों की प्रतियां**—(1) जन्म और मृत्यु का प्रत्येक रजिस्ट्रार, विहित फीस का संदाय किए जाने पर सभी उचित समय पर उसके द्वारा रखी गई रजिस्टर बहियों की तलाशी करने देगा और उनमें की गई प्रविष्टि की प्रति देगा।

(2) इस धारा के अधीन दी गई रजिस्टर बही की किसी प्रविष्टि की प्रत्येक प्रति जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की जाएगी, और जिस जन्म या मृत्यु की प्रविष्टि से वह सम्बन्धित है उसको सावित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

**26. कुछ जन्म और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए असाधारण उपबन्ध**—धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, <sup>3</sup>[राज्य सरकार] जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों को, <sup>4</sup>[नियमों] में विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों और परिस्थितियों में जिन स्थानीय क्षेत्रों या वर्गों के लिए वे नियुक्त किए जाते हैं उनके बाहर होने वाले जन्म और मृत्यु को रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत करते हुए नियम बना सकती है।

#### घ—मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति

**27. जानबूझकर मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति**—यदि कोई व्यक्ति, जन्म या मृत्यु के किसी रजिस्टर में अन्तःस्थापित किए जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन जन्म या मृत्यु की किसी सूचना से सम्बद्ध कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करेगा या कराएगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित होगा।

#### ङ—भूल सुधार

**28. जन्म या मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टियों का सुधार**—(1) यदि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के समाधानपर्यन्त यह सावित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्रारूपिक या सारावान् रूप से गलत है तो, वह उन शर्तों की बाबत, जिन पर और उन परिस्थितियों की बाबत जिनमें सुधार किया जा सकता है, <sup>3</sup>[राज्य सरकार] द्वारा बनाए गए <sup>4</sup>[नियमों] के अधीन रहते हुए, मूल प्रविष्टि में बिना परिवर्तन किए पार्श्व में प्रविष्टि करके गलती सुधार सकता है और पार्श्व की प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और उसमें सुधार करने की तारीख जोड़ेगा।

(2) यदि प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति पहले से ही जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार को भेज दी गई है तो, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार गलत मूल प्रविष्टि की ओर उसके पार्श्व में किए गए सुधार की एक पृथक् प्रमाणित प्रति बनाएगा और भेजेगा।

**अध्याय 4—[विवाह अधिनियमों का संशोधन ।]**—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

#### अध्याय 5

#### कुछ विद्यमान रजिस्टरों के बारे में विशेष उपबन्ध

**32. कुछ अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्तियों को उन्हें एक वर्ष के अन्दर, महारजिस्ट्रार को भेजने की अनुज्ञा**—यदि <sup>5</sup>[उन राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है] कोई व्यक्ति जो तत्समय धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुछ वर्ग के व्यक्तियों के जन्म, वपतिस्मा, नामकरण, समर्पण, मृत्यु या दफन के किसी रजिस्टर या अभिलेख या उन वर्गों के व्यक्तियों के जिनको 1872 का अधिनियम 3 या भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) या पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1865 (1865 का 15) लागू होता है, विवाह का कोई रजिस्टर या अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रखता है और ऐसा रजिस्टर या अभिलेख उस देश की, जिसमें वह रजिस्टर या अभिलेख रखा गया है, विधि द्वारा विशेषतः व्यादिष्ट कर्तव्य के अनुपालन में नहीं

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) निरसित की गई।

<sup>2</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा धारा 24 की उपधारा (2) में परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया। परन्तुक विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित किया गया।

<sup>3</sup> 1911 के अधिनियम सं० 9 की धारा 3 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> धारा 28 और धारा 36 से संयुक्त: धारा 26 के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, भारत का राजपत्र, 1888, भाग 1, पृष्ठ 336 और विभिन्न स्थानीय नियम और आदेश देखिए। सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा 1911 के पूर्व इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए समझे जाएंगे। 1911 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 देखिए।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “किसी भाग के राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

रखा गया है तो, वह [1891 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले किसी भी समय] उन राज्यक्षेत्रों के लिए जिनके अन्दर वह निवास करता है, 2\*\*\* जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को, वह रजिस्टर या अभिलेख भेज सकेगा।

**33. रजिस्टरों की परीक्षा करने के लिए आयुक्तों की नियुक्ति—**<sup>3</sup>[(1) कोई राज्य सरकार, अपने प्रशासन के अधीन के राज्यक्षेत्रों के लिए महारजिस्ट्रार को धारा 32 के अधीन भेजे गए रजिस्टरों या अभिलेखों के संबंध में 4\*\*\* 5\*\*\* इतने व्यक्तियों को ऐसे रजिस्टरों या अभिलेखों की परीक्षा के लिए आयुक्त कर सकती है जितने वह ठीक समझे।]

(2) इस प्रकार नियुक्त आयुक्त ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेंगे जो [उन्हें नियुक्त करने वाला प्राधिकारी] नियुक्ति के आदेश द्वारा या किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा निदेश करे।

**34. आयुक्तों के कर्तव्य—**(1) इसके ठीक पहले वाली धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त धारा 32 के अधीन जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार को भेजे गए प्रत्येक रजिस्टर या अभिलेख की अवस्था, अभिरक्षा और प्रमाणिकता की जांच करेगा;

और महारजिस्ट्रार को ऐसे सभी रजिस्टरों या अभिलेखों या रजिस्टरों या अभिलेखों के भागों की, जिन्हें वे सही और विश्वसनीय पाएं, एक या अधिक वर्णनात्मक सूचियां देगा।

(2) उस सूची में या उन सूचियों में विहित विशिष्टियां होंगी और वे विहित रीति में रजिस्टर या अभिलेखों के प्रति या रजिस्टर या अभिलेखों के भागों के प्रति निर्देश करेगी।

(3) आयुक्त, ऐसे रजिस्टर या अभिलेख या रजिस्टर या अभिलेख के भाग को जो आयुक्तों द्वारा बनाई गई सूची या सूचियों में निर्दिष्ट है, अन्तर्विष्ट करने वाली प्रत्येक पृथक् पुस्तक या जिल्ड के किसी भाग पर लिखित रूप में यह प्रमाणित करेंगे कि वह उक्त सूची या सूचियों में निर्दिष्ट रजिस्टरों या, अभिलेखों में से एक है, या रजिस्टरों या अभिलेखों के भागों में से एक है।

**35. आयुक्तों द्वारा बनाई गई सूचियों की तलाशी और प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति का दिया जाना—**(1) विहित फीस के संदाय करने पर रजिस्टरों या अभिलेखों की या रजिस्टरों या अभिलेखों के भाग की वर्णनात्मक सूची या सूचियों का, जो आयुक्तों द्वारा जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार को दी गई है, सभी उचित समय पर उसके या उनके निरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, और उन रजिस्टरों या अभिलेखों की प्रविष्टियों की प्रतियां उनके लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को दी जाएंगी।

(2) इस धारा के अधीन दी गई प्रविष्टि की प्रति जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार द्वारा या राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रमाणित की जाएंगी, और उस जन्म, वपतिस्मा, नामकरण, समर्पण, मृत्यु, दफन या विवाह को, जिसके सम्बन्ध में वह प्रविष्टि है, साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

[35क. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त आयोगों का गठन—](1) 8\*\*\*राज्य सरकार, [राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] धारा 33 के प्रयोजनों के लिए एक से अधिक आयोग<sup>10</sup> नियुक्त कर सकती है, ऐसे प्रत्येक आयोग में इतने और ऐसे सदस्य होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और उनके कृत्य महारजिस्ट्रार को धारा 32 के अधीन भेजे गए और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रजिस्टरों और अभिलेखों का इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन निपटाना मात्र होगा।

(2) यदि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में एक से अधिक आयोग नियुक्त किए जाते हैं, तब इस अधिनियम में आयुक्तों के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थान्वयन किया जाएगा मानो वह इस प्रकार नियुक्त आयोग के सदस्यों के प्रति निर्देश हैं।

## अध्याय 6

### नियम

**36. नियम—**<sup>12</sup>[(1) राज्य सरकार, <sup>13\*\*\*</sup> प्रत्येक राज्य के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।]

<sup>1</sup> 1890 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 द्वारा “इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा परन्तु सहित कुछ शब्द अंतःस्थापित किए गए थे जिनका विधि अनुकूलन आदेश, 1950 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा कुछ शब्द निरसित किए गए।

<sup>5</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “यथास्थिति, या वह” शब्द निरसित किए गए।

<sup>6</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “सपारिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1886) संशोधन अधिनियम, 1890 (1890 का 16) की धारा 2 द्वारा धारा 35क जोड़ी गई थी, जो विवोल्यूशन एक्ट, 1920 (1920 का 38) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई थी और रिपीलिंग एण्ड अमेंडिंग एक्ट, 1934 (1934 का 24) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा उपधारा (2) अंतःस्थापित की गई थी।

<sup>8</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “कन्द्रीय सरकार या” शब्द निरसित किए गए।

<sup>9</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “यदि वह उचित समझे तो, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या स्थानीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा” शब्द निरसित किए गए।

<sup>10</sup> इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्तों के लिए, भारत का राजपत्र, 1890, भाग 1, पृष्ठ 744 देखिए।

<sup>11</sup> 1911 के अधिनियम सं० 9 की धारा 4 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>12</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>13</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “और भारतीय राज्यों में के ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए केन्द्रीय सरकार” शब्द निरसित किए गए।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम,—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस नियत कर सकते हैं ;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित प्ररूप विहित कर सकते हैं ;

(ग) वह समय विहित कर सकते हैं जिसके अन्दर और वह ढंग जिसमें इस अधिनियम के अधीन जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु की सूचना देने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सूचना देना आवश्यक होगा ;

(घ) उन दशाओं में जहां जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दी गई है जन्म या मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे रजिस्ट्रार को पहचान के लिए दिए जाने वाला साक्ष्य विहित कर सकते हैं ;

(ङ) रखे जाने वाले रजिस्टरों को और वह प्ररूप और रीति विहित कर सकते हैं जिनमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन जन्म और मृत्युओं को रजिस्टर करेंगे, और वे अन्तराल विहित कर सकते हैं जिन पर वे जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार को अपने द्वारा रखे जाने वाले जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों में प्रविष्टियों की सही प्रतियां भेजेंगे ;

(च) वे शर्तें और परिस्थितियां विहित कर सकते हैं जिन पर या जिनमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों में जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों का सुधार कर सकते हैं ;

(छ) उन विशिष्टियों को विहित कर सकते हैं जो अध्याय 5 के अधीन नियुक्त आयुक्तों द्वारा बनाई गई वर्णनात्मक सूची या सूचियों में होंगी, और वह रीति विहित कर सकते हैं जिनमें वे उन रजिस्टरों या अभिलेखों के प्रति या रजिस्टरों या अभिलेखों के भागों के प्रति निर्देश करेंगे जिनसे वे सम्बन्धित हैं; और

(ज) वह अभिरक्षा विहित कर सकते हैं जिनमें वे रजिस्टर या अभिलेख रखे जाएंगे ।

(3) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की प्रत्येक शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हैं ।

37. [नियम बनाने और उनके प्रकाशन के लिए प्रक्रिया ।]—जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1911 (1911 का 9) की धारा 5 द्वारा निरसित ।

---